जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक आज, कई अहम फैसले हो सकते हैं

चिकित्सा उत्पादों पर राहत संभव

उम्मीद

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

जीएसटी काउंसिल कोविड-19 के तहत कुछ चिकित्सीय उत्पादों व सेवाओं पर जीएसटी से राहत दे सकती है। यही नहीं उद्यमियों की जीएसटी प्रक्रिया को लेकर आ रही समस्याओं के निराकरण का रास्ता भी निकल सकता है। उद्यमियों का कहना है कि जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं एवं कच्चे माल पर जीएसटी की दरें न्यूनतम की जानी चाहिए एवं वर्तमान कोविड-19 स्थितियों को देखते हुए किसी भी प्रकार के अर्थदंड एवं जुर्माने को कम से कम एक वर्ष तक स्थगित किया जाना चाहिए।

आनलाइन कंपनियों को छूट, उद्यमियों पर प्रतिबंधः इलेक्ट्रानिक्स व्यापार मंडल लखनऊ के विशाल अग्रवाल का कहना है ऑनलाइन कंपनियों द्वारा कैश ऑन डिलीवरी बंद करनी चाहिए। ऑनलाइन कंपनियां लाखों रुपये का माल कैश ऑन डिलीवरी कर रही हैं।

व्यापारियों को इन मुद्दों पर सरकार से है आस

- जीएसटी पंजीकृत व्यापारी का मेडिकल इंश्योरेंस अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- जीएसटी में अधिकतर दो प्रकार की दर रखी जाए । अलग-अलग दरें व्यापार को प्रभावित कर रही हैं।
- समाधान योजना डेढ़ करोड़ से बढ़ाई जाए और कर की दर आधा प्रतिशत की जाए।
- जीएसटी के सर्वे में यदि व्यापारी उपलब्ध नहीं है तो उसका पंजीकरण तुरंत कैंसिल ना किया जाए उसको 15 दिन का समय दिया जाए।
- विभाग द्वारा जो एसएमएस व्यापारी को भेजा जाता है उसमें पार्टी का नाम भी लिखा रहना चाहिए।

बैठक की तैयारियां पूरी

लगातार हो रही बारिश के बीच शुक्रवार को जीएसटी परिषद की लखनऊ में होने वाली बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। जीएसटी की दरों में राहत देने के साथ ही नुकसान की भरपाई के लिए सेस देने जैसे महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं।

जीएसटी पोर्टल से हो रही परेशानियां

राज्य मुख्यालय। यूपी के व्यापारियों ने जीएसटी पोर्टल की खामियों को लेकर होने वाली परेशानियों को दूर कराने की मांग आयुक्त वाणिज्य कर से की है। व्यापारियों ने इस संबंध में गुरुवार को उन्हें ज्ञापन भी दिया।

लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्र के मुताबिक इनकम टैक्स की भांति ऑटो रिफंड होना चाहिए इससे व्यापारी की पूंजी नहीं फंसेगी।

राज्य नहीं घटा सकेंगे दरें

राज्य मुख्यालय। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों को अभी गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा है। राज्य इन पर मूल्य संवर्धित टैक्स यानी वैट की वसूली करते हैं।

काउंसिल की शुक्रवार को होने वाली बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों खासकर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। पेट्रोल व डीजल जीएसटी के दायरे में आने के बाद राज्य न तो इसकी दरें घटा सकेंगे और न ही इसमें किसी तरह की वृद्धि कर पाएंगे। राज्यों के लिए वैट पर मिलने वाला टैक्स काफी मददगार होता है।

यूपी में पेट्रोल पर 26.80 फीसदी या 17.14 रुपये जो भी प्रति लीटर से अधिक हो उसके हिसाब से वैट लिया जाता है। डीजल पर 17.48 प्रतिशत या 10.41 रुपये प्रति लीटर जो भी अधिक हो उसके हिसाब से वैट लिया जा रहा है। यूपी में आखिरी बार वर्ष 2019 में वैट की दरों में वृद्धि की गई थी।